—ः "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण" ः—

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय धुरगुडा जगदलपुर जिला—बस्तर के कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु फैकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन

"रूचि की अभिव्यक्ति" का मॉडल EOI प्रारूप

(वर्ष 2025-26)

---000---

1. योजना का उददे्श्य :--

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना (संशोधित) नियमावली वर्ष 2020 अंतर्गत सचांलित प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय जिला–रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, जशपुर, कोरबा, बस्तर, कांकेर, बालोद, रायगढ़, बिलासपुर, राजनांदगांव एवं बलरामपुर में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण चयनित विद्यार्थियों के लिए कक्षा 09वीं एवं 10वीं में शालेय शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की परीक्षाओं यथा एन.टी.एस.सी., विज्ञान पहेली जेईई (मेंस / एडवांस), एम्स, नीट, पीईटी इत्यादि जैसी होने वाली प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के बेसिक की तैयारी कराये जाने की योजना है। इसी तरह कक्षा 10वीं उत्तीर्ण/चयनित विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11वीं/12वीं की स्कूली िाक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की परीक्षाओं, जेईई (मेंस/एडवांस), एम्स, नीट, सी.ए.,/सी.एस./सी.एम.ए/क्लैट पीईटी इत्यादि जैसी होने वाली प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराये जाने की योजना है जिसके फलस्वरूप इन संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी अखिल भारतीय संस्थाओं में बेहतर प्रदर्शन करते हुए इन संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर सके, साथ ही ये विद्यार्थी कक्षा 10वीं एवं 12वीं स्तर पर होने वाली बोर्ड परीक्षा की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त कर सकें। कोचिंग संस्थाओं से यह अपेक्षा है कि इस योजना के प्रति संवेदनशील होकर प्रवेशित विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण करने की दृष्टि से कार्य किया जाये न कि व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से।

2. योजना संचालन का मोड :--

योजना के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित शैक्षणिक एवं आवासीय अधोसंरचना एवं सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। कोचिंग हेतु शैक्षणिक स्टाफ एवं स्टडी मटेरियल (सॉफ्ट / हार्ड कापी), संदर्भ पुस्तकें, मूल्यांकन आदि हेतु OMR टेस्ट तथा OMR मशीन की व्यवस्था चयनित कोचिंग संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

3 कार्यों का विवरण :--इस योजनांतर्गत निम्नांकित विद्यालयों में अध्यापन सह कोचिंग कार्य हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" ऑनलाईन प्रस्ताव आमंत्रित है:--

क्र.	कार्य का नाम	वर्ष	कक्षा	विद्यार्थियों की संख्या (परिवर्तनीय)	संकाय (कक्षा 11वीं—12वीं हेतु)	भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2022 के उप–नियम 4.7 में प्रावधान अनुसार 1प्रतिशत अमानत राशि (राशि रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रयास <b>बालक/कन्या</b> आवासीय विद्यालय, जगदलपुर जिला–बस्तर में अध्यापन सह कोचिंग कार्य		11वी 12वी	75 बा.+ 50क. 75 बा.+ 50क.	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेन्स, एडवांस, नीट) — 125 सीट	2,00,000 /

(i) रूचि की अभिव्यक्ति का ऑनलाईन प्रदर्शन की तिथि	08/05/2025 सायं 03.00 बजे से
(ii) रूचि की अभिव्यक्ति के संबंध में PreBid Meeting	19/05/2025, अपरान्ह 2.00 बजे
(iii) निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित करने की अंतिम तिथि	26/05/2025, सायं 3.00 बजे
(iv) प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना एवं तकनीकी मूल्यांकन	28/05/2025, सायं 03.00 बजे
(v) रूचि की अभिव्यक्ति संबंधी अन्य कार्यवाही/जानकारी की सूचना	पृथक से दी जायेगी।

4 कार्य की अवधिः— 02 वर्ष (2025–26, एवं 2026–27) होगी। जिसमें सामान्य परिस्थितियों में निम्नाुनसार शाला संचालन होगा :—

क्र	कक्षा	वर्ष	शाला संचालन की अवधि	अवकाश
1	कक्षा ११वीं	2025-26	16 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक	शासन द्वारा घोषणा
2	कक्षा १२वीं	2026—27	01 जून 2026 से 31 मई 2027 अथवा प्रतियोगी परीक्षा JEE Mains/ NEET इत्यादि समाप्त होने तक	अनुसार (शीतकालीन / ग्रीष्मकालीन अवकाश)

टीप :- उपरोक्तानुसार किसी परिस्थितिवश परिवर्तन करना आवश्यक होने की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकेगा। शाला संचालन अवधि का ही भुगतान किया जायेगा।

5 अनुबंध की अवधि :-- संबंधित सभी परीक्षाओं के परिणाम जारी होने के 02 माह पूर्ण होने पर । 6 कक्षा की क्षमता :--

(अ) 100 / 125 विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 02 सेक्शन होगा।

(ब) रायपुर बालक प्रयास में 50 सीट का एक नया बैच NDA के लिए प्रारंभ किया जाना है। 7 अध्यापन की अवधि - प्रति शिक्षक न्यूनतम 8 घण्टे का अध्यापन/कोचिंग एवं शिक्षकीय कार्य कराना होगा, जिसमें बोर्ड परीक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम का अध्यापन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, शिक्षक डायरी, पाठ्यक्रम योजना, गृह कार्य जांच, विद्यार्थीवार विश्लेषण तथा डाउट क्लास आदि शामिल होगा। इसके आधार पर समय सारिणी बनाकर प्रशासकीय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। 8 कक्षा 11वीं/12वीं उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों/फैकल्टी की अनिवार्य योग्यताएं :- योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करना है, इस हेतू कक्षा 11वीं, 12वीं का अध्यापन एवं उस स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे जेईई मेन्स, एडवांस, सी.ए. सी.एस.. सी.एम.ए.. क्लैट. एम.बी.ए. परीक्षाओं नीट एम्स इत्यादि D:\MANDAVI-G\PRAYAS 2023 24\TENDER\LETER.docx

हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों (Teaching/ Coaching Faculty) की शैक्षणिक पृष्ठभूमि उच्च स्तर की होनी चाहिए। कोचिंग संस्थाओं के Faculty Development Programme के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं के अध्यापन हेतु शिक्षक प्रशिक्षित होने चाहिए। प्रयास बालक आवासीय विद्यालय रायपुर में एन.डी.ए. का बैच पृथक से बनाए जाने पर उसके अनुसार फैकल्टी की व्यवस्था करनी होगी।

क्र.	विषय	फैकल्टी की न्यूनतम संख्या	अनिवार्य योग्यता केवल गणित		
6	जे.ई.ई. मेन्स/एडव	ांग्र) संकाम			
0		ति तकाय	प्रथम फैकल्टी– भारत सरकार द्वारा स्थापित आई.आई.टी. से न्यूनतम		
	हेतु		प्रथम श्रेणी/ समकक्ष ग्रेड में बी.टेक उत्तीर्ण हो।		
1.	गणित	02	<b>द्वितीय फैकल्टी</b> — मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / ाासकीय		
			महाविद्यालय / आटोनामस संस्थान से न्यूनतम प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड		
			से M.Sc एवं बी.एड.हो।		
			या		
1			UGC/ CSIR से NET/ GATE उत्तीर्ण हो।		
			या		
			IIT/NIT से M.Tech / M.Sc न्यूनतम प्रथम श्रेणी / समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण।		
2.	भौतिक	02	प्रथम फैकल्टी– भारत सरकार द्वारा स्थापित आई.आई.टी. से न्यूनतम		
	शास्त्र	1	प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक उत्तीर्ण हो।		
			दितीय फैकल्टी- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से न्यूनतम		
			प्रथम श्रेणी / समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो।		
			या		
			UGC/ CSIR से NET/ GATE उत्तीर्ण हो।		
			या		
			IIT/NIT से M.Tech / M.Sc न्यूनतम प्रथम श्रेणी / समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण।		
3.	रसायन शास्त्र	02	प्रथम फैकल्टी– भारत सरकार द्वारा स्थापित आई.आई.टी. से न्यूनतम		
		-	प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक उत्तीर्ण हो।		
			दितीय फैकल्टी— मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम		
			प्रथम श्रेणी / समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो।		
			थ। UGC/ CSIR से NET/ GATE उत्तीर्ण हो।		
			IIT/NIT से M.Tech / M.Sc न्यूनतम प्रथम श्रेणी / समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण।		
के	वल जीव विज्ञान (	नीट∕एम्स)	प्रथम फैकल्टी – एम.बी.बी.एस. में न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से		
	संकाय हेत्		उत्तीर्ण हो।		
1.	जीव विज्ञान/		या		
	वनस्पति विज्ञान		शासकीय संस्था से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में एम.डी.एस. हो।		
			<b>द्वितीय फैकल्टी</b> — मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से न्यूनतम		
			प्रथम श्रेणी / समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो।		
			אין איון איון אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי		
			य। UGC/ CSIR से NET/ GATE उत्तीर्ण हो।		
-	भौतिक प्रापन				

2.	भौतिक शास्त्र	02	प्रथम फैकल्टी– भारत सरकार द्वारा स्थापित आई.आई.टी. से न्यूनतम
			प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक उत्तीर्ण हो।
			दितीय फैकल्टी– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से न्यूनतम
			प्रथम श्रेणी / समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो।
			या
	10		UGC/ CSIR से NET/ GATE उत्तीर्ण हो।
			या
			IIT/NIT से M.Tech / M.Sc न्यूनतम प्रथम श्रेणी / समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण।

acer/ EOI 2024- 11<sup>th</sup>-12th 2

P			
3.	रसायन शास्त्र	02	प्रथम फैकल्टी – भारत सरकार द्वारा स्थापित आई.आई.टी. से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक उत्तीर्ण हो। द्वितीय फैकल्टी– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/CSIR से NET/GATE उत्तीर्ण हो।
U	ाहां संयुक्त रूप से जीव विज्ञान दोनों	संकाय	प्रथम फैकल्टी – भारत सरकार द्वारा स्थापित आई.आई.टी. से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक उत्तीर्ण हो।
1.	संचालित है गणित	02	द्वितीय फैकल्टी — मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी / समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/ CSIR से NET/ GATE उत्तीर्ण हो।
			या IIT/NIT से M.Tech / M.Sc न्यूनतम प्रथम श्रेणी / समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण।
2.	भौतिक शास्त्र	02	प्रथम फैकल्टी – भारत सरकार द्वारा स्थापित आई.आई.टी. से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक उत्तीर्ण हो। द्वितीय फैकल्टी – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/CSIR से NET/GATE उत्तीर्ण हो। या IIT/NIT से M.Tech/M.Sc न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण।
3.	रसायन शास्त्र	02	प्रथम फैकल्टी – भारत सरकार द्वारा स्थापित आई.आई.टी. से प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक उत्तीर्ण हो। द्वितीय फैकल्टी – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/CSIR से NET/GATE उत्तीर्ण हो।
4.	जीव विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान	02	प्रथम फैकल्टी — एम.बी.बी.एस.में न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण हो। या शासकीय संस्था से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में एम.डी.एस. हो। द्वितीय फैकल्टी — मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/CSIR से NET/GATE उत्तीर्ण हो।
5	ाणिज्य संकाय (सीप सीएमए) हेतु		<b>प्रथम फैकल्टी –</b> भारत सरकार द्वारा स्थापित सी.ए./सी.एस./सी.एम.ए. उपाधि धारक हो। <b>द्वितीय फैकल्टी –</b> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम
1.	वाणिज्य संकाय	04	प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से एम.काम. एवं बी.एड.हो या UGC/NET उत्तीर्ण हो। <u>एकाउन्टेन्सी</u> विषय पढ़ाने हेतु। तृतीय फैकल्टी – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम

1

		-	DOWITOaded ITOM WWW.SKILLSPED
			प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से एम.काम. एवं बी.एड. हो <b>या</b> UGC/NET उत्तीर्ण हो। व्यवसायिक अध्ययन विषय पढ़ाने हेतु।
			चतुर्थ फैकल्टी — मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम् प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड हो। <b>या</b>
			UGC/NET उत्तीर्ण हो।
1.	कला संकाय (क्लै क्लैट		प्रथम फैकल्टी – भारत सरकार द्वारा स्थापित नेशनल ल यूनिवर्सिटी/महाविद्यालय से बी.ए. एल.एल.बी. न्यूनतम प्रथम
	पलट (कला संकाय)	04	श्रेणी/समकक्ष ग्रेड उपाधि धारक हो। या
	<i>8</i>		किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से एल.एल.एम. उपाधि धारक जो न्यूनतर प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण हो । या
			UGC/NET/CSIR उत्तीर्ण को प्राथमिकता। दिवीय फ्रैंकच्ची प्रायमय प्राप्त विक्वीयाप्र (क्वर्ण)
			दितीय फैकल्टी – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतर प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से राजनीति विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर एव बी.एड.हो
		827	या संबंधित विषय में UGC/NET उत्तीर्ण हो।
			तृतीय फैकल्टी – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से न्यूनतग प्रथम श्रेणी / समकक्ष ग्रेड से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड.हो
			<b>या</b> संबंधित विषय में UGC/NET उत्तीर्ण हो।
			चतुर्थ फैकल्टी – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से गणित विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड.हो।
			या संबंधित विषय में UGC/NET उत्तीर्ण हो
-	सा	भी संकाय में	निम्नांकित विषयों के फैकल्टी अनिवार्यतः रखना होगा।
7.	हिन्दी	01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से न्यूनतम 60% अंक / समकक्ष ग्रेड से हिन्दी साहित्य विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड.हो
			या UGC/NET उत्तीर्ण हो।
8.	अंग्रेजी	01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /महाविद्यालय से न्यूनतम 60% अंक/समकक्ष ग्रेड से अंग्रजी साहित्य विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड
			हो। या
			UGC/NET उत्तीर्ण हो।
9	मनोवैज्ञानिक / कैरियर काउंसलर	01	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में स्नातक उत्तीर्ण हो। (आवश्यकतानुसार बालक एवं कन्या के लिग
			महिला एवं पुरूष काउंसलर उपलब्ध कराना होगा)।
11	शारीरिक शिक्षक / योग शिक्षक	01	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बीपीएड अथवा योगा पाठ्यक्रम में स्नातक / डिप्लोमा।
12	प्रोजेक्ट इंचार्ज / समन्वयक	01	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मानव—संसाधन ब्रांच में व्यवसार प्रशासन में रनातकोत्तर (MBA-HR) तथा किसी शैक्षणिक संस्थान र न्यूनतम 02 वर्ष का प्रबंध में अनुभव हो।

9. (अ) रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत आवेदन करने का तरीका :--

(i) आवेदन पत्र का शुल्क तथा अमानत राशि का विवरण :--

(अ) इच्छुक कोचिंग संस्थाएँ आवेदन का प्रारूप, न्यूनतम पात्रता शर्ते, सुरक्षा निधि की राशि तथा अन्य जानकारी विभाग की वेबसाईट www.bastar.gov.in तथा ई—प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in से अवलोकन कर प्राप्त (Download) कर सकते है। आवेदन पत्र के शुल्क हेतु राशि रूपयें 5000 / – (शब्दों में पांच हजार मात्र) तथा जीएसटी के साथ ऑनलाईन जमा करना होगा।

(ब) इच्छुक फर्म कंडिका—03 में दिये विवरण अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए दर्शित अमानत राशि ऑनलाईन जमा कर आवेदन कर सकते है। यह अमानत राशि सफल निविदाकार की रोक कर, शेष को 15 दिवस में वापस लौटा दी जायेगी।

(ii)

इच्छुक कोचिंग संस्थाएं 03 बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तुत करेगें। आवेदन पत्र का भाग—एक, प्रथम लिफाफा (अनिवार्य अर्हता संबंधी योग्यता) निम्नानूसार रहेगी :—

क्र.			विवरण				
1.	आवेदर	न करने वाली कोचिंग संस	था का भारत सरकार या छत्तीसगढ़ शासन के अधीन निम्नांकित				
	प्रकार	के फर्म अंतर्गत पंजीकृत ह	होना चाहिए।				
	क्र.	फर्म का प्रकार	पंजीयन				
	1	पार्टनरशिप फर्म	रजिस्ट्रार फर्म द्वारा जारी प्रमाण-पत्र				
	2	कम्पनी एक्ट/LLP	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अंतर्गत पंजीयन				
	3	ट्रस्ट	राजिस्ट्रार द्वारा जारी ट्रस्ट के पंजीयन संबंधी दस्तावेज				
	4						
	5						
	संस्था का पंजीयन 01.04.2024 से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त						
	होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।						
	टीपः— मूल फर्म आवेदन कर सकेंगी, Franchise मान्य नहीं होगा।						
2.			छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसटी (GST) पंजीयन अनिवार्यतः होना				
	चाहिए तथा इसका प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। यदि टैक्स में छूट प्रदान किया गया है तो						
	संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। कार्य मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य						
	के GST Number से बिलींग की जावेगी।						
	टीपः–	पेन/टेन/जीएसटी नंबर	आवेदक के नाम से होना चाहिए।				
	क्र. दस्तावेज विवरण		विवरण				
	1	पेन	PAN प्रमाण पत्र संलग्न करें।				
	2	टेन	TAN प्रमाण पत्र संलग्न करें।				
	3	जीएसटी नंबर	Chhattisgarh GST प्रमाण पत्र संलग्न करें।				

3.	(I) ā	कोचिंग फर्म का प्रतियोगी परीक्ष	गओं संबंधी कोचिंग कार्यों का विगत 03 <b>वर्ष 2021–22</b> ,
	202	2-23 एवं 2023-24 का और	सत टर्न ओव्हर रू. 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए।
6	टर्न	ओव्हर में फर्म द्वारा संचा	लित अन्य गतिविधियों / व्यापारिक प्रक्रियाओं से प्राप्त
	आय	/संपत्ति को इसमें शामिल न	किया जाए। फर्म को प्रमाण स्वरूप विगत 3 वर्षो में वर्ष
	202	1—22, 2022—23 एवं 2023	-24 का अंकेक्षण प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट), बैलेन्स शीट
	प्रस्तु	त करना होगा। इसके अतिरिक्त	चार्टड एकाउन्टेन्ट का एक प्रमाण पत्र जिसमें विगत तीनों
	वर्षो	2021-22, 2022-23 एवं 2	2023—24 के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कार्यो से संबंधित
	टर्न	ओवर का पृथक–पृथक उल्लेख	हो।
	(II)	कोचिंग फर्म का प्रतियोगी परीक्ष	ओं संबंधी कोचिंग कार्यो के व्यवसाय का माह <b>मार्च</b>
	(15.7-5411.)	2025 का GST रिटर्न (GSTR-3)	B) का विवरण।
			021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का Income Tax
	Retu	ırn Acknowledgement संलग्न	करें।
	क्र.	दस्तावेज	विवरण
	1	टर्न ओव्हर सटिफिकेट	संलग्न प्रारूप अनुसार (परिशिष्ट-EC-5)
	2	ऑडिट रिपोर्ट	वित्तीय वर्ष वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24
			का संलग्न करें।
	3	आईटी रिटर्न	वित्तीय <b>वर्ष 2021—22, 2022—23 एवं 2023—24</b> का संलग्न करें।
	4	जीएसटी रिटर्न	माह मार्च 2025 का GST रिटर्न (GSTR-3B) संलग्न करें।
	<u> </u>		410 114 2023 47 GST 1804 (GSTR-3B) 41014 681
4.	अमान	त राशि के रूप में कंडिका–03	में दिये गये विवरण अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित
	राशि	आनलाईन जमा करना होगा।	
5.	भारत	देश के अंतर्गत किसी भी राज्य	में शासन/लोक उपकम/विभाग/एजेंसी अंतर्गत कोचिंग
	फर्म व	को काली सुची में न डाला ह	ो। पर्व में सभी शिक्षको के वेतन भगतान की कोई भी
	शिका	यत लंबित नहीं होनी चाहिए। इ	स संबंध में संलग्नक EC-08 के प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत
	कर।		
6	आवेद	क का पी.एफ. ⁄ ई.एस.आई में	रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। पी.एफ. / ई.एस.आई में
	रजिस्	द्रेशन की प्रति संलग्न करें। EC-(	09
	क्र.	दस्तावेज	विवरण
	1	पी.एफ. पंजीयन सर्टिफिकेट	पंजीयन सर्टिफिकेट संलग्न करें।
	2	ई.एस.आई.सी.	पंजीयन सर्टिफिकेट संलग्न करें।

टीप— (i) ज्वाईंट वेंचर (Joint Venture) एवं कन्सॉटियम (Consortium) भाग लेने हेतु वे फर्म पात्र नही होगा।

भाग एक—(प्रथम लिफाफा) में EC-1 से EC-9 तक की जानकारी रखा जाना है।

- (ii) आवेदन पत्र का भाग—दो (दूसरा लिफाफा) इसके अंतर्गत TE-1 से TE-10 तक की जानकारी के साथ पृथक से लिफाफा क्रमांक—02 में रखकर सीलबंद किया जाना चाहिए।
- (iii) आवेदन पत्र का भाग–तीन (वित्तीय प्रस्ताव) इसके अंतर्गत तीसरे लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव (दर) का लिफाफा FB-1 रखा जाना है, प्रारूप संलग्न है। उपरोक्तानुसार तीनों लिफाफों को ऑनलाईन में प्रदत्त निर्देश अनुसार भरा जाना है।
- (iv) इसके पश्चात् भाग–1, भाग–2 एवं भाग–3 के लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। निर्धारित तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार्य होगें। आवेदक जिन विद्यालयों के लिए आवेदन कर रहा है, लिफाफा के उपरी भाग पर उन सभी विद्यालयों

का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगें। प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव के अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म का सील और हस्ताक्षर होना चाहिए।

- (v) सभी प्राप्त आवेदन पत्र का लिफाफा क्रमांक—01 अनिवार्य योग्यता संबंधी लिफाफा खोला जाएगा। इसके परीक्षण उपरांत पात्रता रखने वाले संस्थाओं का ही द्वितीय लिफाफा खोला जाएगा। द्वितीय लिफाफा (तकनीकी योग्यता संबंधी) में पात्र पाए जाने वाले संस्थाओं का ही तृतीय लिफाफा (वित्तीय प्रस्ताव) खोला जाएगा। वित्तीय लिफाफा खोलने हेतु पृथक से सूचना दी जावेगी। चयन समिति द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पश्चात् अंतिम रूप से सफल फर्म को पृथक से सूचित किया जाएगा।
- (vi) आवेदन खोलते समय आवेदक स्वयं अथवा उनके एक Power of Attorney द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगें। साथ ही आवेदक के समस्त पार्टनर/बोर्ड ऑफ डायरेक्टर/ट्रस्टी/मैनेजिंग कमेटी का पारित प्रस्ताव जिसमें पावर ऑफ एटार्नी प्रदायकर्ता एवं प्राप्तकर्ता का स्पष्ट उल्लेख हो। EC-07
- (vii) पावर ऑफ एटार्नी 50 रूपये के स्टाम्प पेपर में पंजीयन अनिवार्य है।
- 9.(ब) सुरक्षा निधि—
  - (i) (अ) सफल निविदाकार फर्म के चयन होने के उपरांत अनुबंध तथा कार्यादेश जारी होने के पूर्व के प्रत्येक कार्य के लिए स्वीकृत सीट के मान से कुल कार्य की लागत का 3% राशि एफडीआर <u>सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर</u> के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय में प्रवेश के अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर कार्य की कुल लागत पुनः पुर्ननिर्धारित की जायेगी तथा जैसी स्थिति होगी अतिरिक्त राशि का सुरक्षा निधि एफ.डी.आर.के रूप में जमा करना होगा।

(ब) यह 3% एफडीआर आवंटित कार्य को सफलता पूर्व पूर्ण करने तथा अंतिम कि त की स्वीकृति के उपरांत वापसी योग्य होगी।

- (ii) निम्नांकित परिस्थितियों में सुरक्षा निधि की राशि एफडीआर से राजसात कर ली जायेगी— (अ) यदि अनुबंधित संस्था अनुबंध अनुसार कार्य करने से मना करता है।
  - (ब) यदि अनुबंध अवधि के मध्य अनुबंधित संस्था द्वारा कार्य बीच में छोड़ दिया जाता है।
  - (स) आवेदक संस्था द्वारा जानबूझकर गलत जानकारी देकर कार्यादेश प्राप्त कर लेता है।

10. प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन का तरीका :-- योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च गुणवत्ता की संस्था को चयन में प्राथमिकता देने हेतु प्राप्त प्रस्ताावों का गुणवत्ता सहमूल्य आधारित प्रक्रिया (Quality Cum Cost Based System) के अनुसार मल्यांकन किया जाएगा। इसके दो भाग होंगे :--

(Quality Cum Cost Based System) के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। इसके दो भाग होंगे :-10.1 तकनीकी मूल्यांकन :- न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने वाले फर्म का ही तकनीकी प्रस्ताव (लिफाफा) खोला जायेगा, यह अधिकतम 100 अंक का होगा। जिसका मूल्याकंन निम्नलिखित मानको के आधार पर आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पॉवर पॉईट प्रेजेन्टेशन के आधार पर किया जायेगा –

(अ)	गणित	(जे.ई.ई.	मेन्स / एड	वांस), र	जीवविज्ञान	(नीट)	:

क्र.		विद्यार्थियों की संख्या	अंक	अधिकतम अंक
1	विगत 05 वर्ष (2018—19, 2019—20, 2020—21, 2021—22 एवं, 2022—23) के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर JEE एवं NEET/ जैसी प्रतियोगी	2000 से 5000 5001 से 10000	06 08	12
	परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान कराने की औसत संख्या	10000 से अधिक	12	
2	विगत 05 वर्ष (2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं, 2022–23)के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर JEE एवं NEET/ जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान कराने की औसत संख्या	200 से 500 501 से 1000 1000 से अधिक	06 08 10	10
3	विगत 05 वर्षो (2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं, 2022–23)के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों का राष्ट्रीय स्तर पर JEE (Mains) / जैसी प्रतियोगी परीक्षा में ओव्हर आल 10,000 रैंक तक प्राप्त के आधार पर।	1 से 100 101 से 500 500 से अधिक	06 08 10	10

acer/ EOI 2024- 11th -12th 7

4	विगत 05 वर्षो (2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं, 2022–23)के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों का छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर	N 101 AG	06	10
	UFF (Maina) ( रेप मारे जियेयगरत विद्यार्थयों को छत्तासगढ़ राज्य स्तर पर	1 1 1 20	80	
	JEE (Mains)/ जैसी प्रतियोगी परीक्षा में ओव्हर आल 10000 रैंक तक प्राप्त के आधार पर।	25 से अधिक	10	
5	विगत 05 वर्षो (2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं, 2022–23)के औसत	1 से 100	06	10
	आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों का राष्ट्रीय स्तर पर NEET/ जैसी प्रतियोगी परीक्षा में ओव्हर आल 20000 रैंक तक प्राप्त के आधार पर।	101 से 500	08	
-	जसा प्रतियांगी पराक्षी में आव्हर आले 20000 रक तक प्राप्त के आधार पर।	500 से अधिक	10	
6	विगत 05 वर्षो (2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं, 2022–23) के औसत	1 से 25	04	80
	आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों का छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर	26 से 50	06	
_	NEET/ जैसी प्रतियोगी परीक्षा में ओव्हर आल 20000 रैंक तक प्राप्त के आधार पर।	50 से अधिक	08	
7	कोचिंग संस्था के विगत 03 वर्षों के औसत टर्नओवर के आधार पर।	50 लाख तक	02	10
		50 लाख – से 100		
		लाख तक	04	
1		100 लाख से 200		
		लाख तक	06	
		200 लाख से		
1		अधिक होने पर	10	
		प्रति 100 लाख		
		पर-01 अंक		
_		(अधिकतम 10 अंक)		
3	Study Material की गुणवत्ता	_	10	10
)	योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति तथा Approach and Methodology पर पावर पाईन्ट प्रजेन्टेशन (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	_	20	20
	योग –			100

# (ब) केवल वाणिज्य / कला (CA, CS, CMA, क्लैट, बैंकिंग आदि परीक्षाओं हेतु) :--

क्र.	विवरण	विद्यार्थियों की संख्या	अंक	अधिकतम अंक
1	विगत 05 वर्ष (2018—19, 2019—20, 2020—21, 2021—22 एवं, 2022—23) के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर क्लैट, सी.ए., सी.एस., सी.एम.ए., बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान कराने की औसत संख्या	2000 से 5000 5001 से 10000 10000 से अधिक	05 10 15	15
2	विगत 05 वर्ष (2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं, 2022–23)के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा <b>छत्तीसगढ़ राज्य</b> स्तर पर क्लैट, सी.ए., सी.एस., सी.एम.ए., बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान कराने की औसत संख्या	200 से 500 501 से 1000 1000 से अधिक	05 10 15	15
3	विगत 05 वर्षो (2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं, 2022–23)के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों का संबंधित क्लैट, बैंकिंग, CA, CS, CMA परीक्षा में पास प्रतिशत	10% से अधिक 15% से अधिक 20% से अधिक	10 20 30	30
4	कोचिंग संस्था के विगत 03 वर्षों के औसत टर्नओवर के आधार पर।	50 लाख तक 50 लाख –से 100 लाख तक 100 लाख से 200	02 04	10
		लाख तक 200 लाख से अधिक होने पर प्रति 100 लाख पर–01 अंक (अधिकतम 10 अंक)	06 10	
5	Study Material की गुणवत्ता	-	10	10
6	योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति तथा Approach and Methodology पर पावर पाईन्ट प्रजेन्टेशन (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	-	20	20
	योग —			100

# 10.2 तकनीकी मूल्यांकन द्वारा प्रस्तावों का लघुकृतिकरण --

(अ)तकनीकी मूल्यांकन के 100 अं क में से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले संस्थाओं का ही वित्तीय लिफाफा ऑनलाईन खोला जायेगा। उपरोक्तानुसार अर्ह संस्थाओं की संख्या 05 से कम होने पर न्यूनतम 60 प्रतिशत की अनिवार्यता आयुक्त द्वारा शिथिल की जा सकेगी।

(ब) स्टडी मटेरियल की गुणवत्ता हेतु संबंधित विषय विशेज्ञयों की समिति से मूल्यांकन कराया जायेगा।

10.3 वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन :--वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नाकिंत सूत्र पर आधारित होगा :--

#### $EF = 100 \times FM/F$

यहां पर EF का अर्थ होगा वित्तीय अंक, FM का अर्थ न्यूनतम मूल्य तथा F का अर्थ विचाराधीन प्रस्ताव में दर्शाये गये मूल्य से है।

10.4 प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण :-- प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण तकनीकी अंक (ET) का 70 प्रतिशत अधिभार तथा वित्तीय अंक (EF) का 30 प्रतिशत अधिभार देते हुए दोनो का योग कर अंको के घटते क्रम अनुसार कोचिंग संस्थाओं का अंतिम श्रेणीकरण किया जायेगा। शासनहित में सफल निविदाकारों से प्राप्त दर पर समिति द्वारा निगोशिएशन किया जा सकेगा।

# 11. कोचिंग संस्थाओं को कार्य आबंटित किये जाने की प्रक्रिया –

(अ) श्रेणीकरण – प्रत्येक प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए कोचिंग संस्थाओं का मूल्यांकन पश्चात् अंतिम श्रेणीकरण किया जाकर कोचिंग संस्थाओं का पैनल बनाया जायेगा। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले संस्था को प्रथम स्थान देते हुये कार्य करने हेतु सहमति पत्र (Letter of acceptance) कोचिंग संस्था को जारी किया जाएगा।

(ब) फैकल्टी के अध्यापन कु ालता का डेमो – Letter of acceptance जारी होने के 15 दिवस के अंदर EOI में दर्शित निर्धारित योग्यता के फैकल्टी/स्टॉफ की सूची सभी अभिलेखों सहित उपलब्ध कराना होगा। अध्यापन कुशलता हेतु निर्धारित – 40 अंक है। डेमो का उद्देश्य बेहतर कोचिंग संस्था का चयन करना है। इसका उद्देश्य शिक्षक/फैकल्टी चयन करना नही है। जिसका विवरण निम्नानुसार है –

(i) शैक्षणिक योग्यता, विषय ज्ञान एवं विषय की समझ—20 अंक

(ii) शैक्षणिक कौशल – 10 अंक

(iii) विषय विशेषज्ञों द्वारा पूछे गए प्रश्नों एवं समस्या समाधान के तरीके – 05 अंक

(iv) मूल्यांकन समिति से संवाद एवं समन्वय – 05 अंक

60 प्रति ात से कम अंक प्राप्त करने पर कोचिंग संस्था को नवीन फैकल्टी का डेमो कराना होगा। डेमो हेतु अधिकतम 02 अवसर दिया जाएगा।

(स) अनुबंध की पूर्व की तैयारी – कोचिंग फर्म के फैकल्टी के अंतिम चयन के उपरांत 03 दिवस के अंदर विद्यालय के लिए कोचिंग संस्था द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले समस्त फैकल्टी की सूची योग्यता / बायोडाटा (02 फोटो सहित), शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, निवास–प्रमाण पत्र, सुरक्षा निधि की राशि, शिक्षकों के साथ किया गया अनुबंध जिसमें वेतन का विवरण का अंतिम रूप प्रदान करने के पश्चात् ही अनुबंध की कार्यवाही की जायेगी तथा कार्यादेश जारी किया जाएगा।

(द) कोचिंग संस्था/फर्म के अनुबंध निरस्त होने पर कार्यवाही – किसी कारण से कोचिंग संस्था द्वारा कार्य करने में असमर्थता/असफलता या अनुबंध निरस्त किये जाने की स्थिति में अंतिम मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम में कोचिंग संस्थाओं को अवसर प्रदान किया जाएगा। अंतिम मूल्यांकन में न्यूनतम दर प्राप्त संस्था के दर पर ही कार्यादेश दिया जा सकेगा।

(इ) कोचिंग संस्था/फर्म का मूल्यांकन —चयनित कोचिंग फर्म का अनुबंध कक्षा 11वीं से 12वीं के लिए किया जाएगा।

# 12. "रूचि की अभिव्यक्ति" अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन हेतु समिति एवं अधिकार :--

(अ) योजना नियमावली–2020 अनुसार गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं अभिलेखों का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा मूल्यांकन के संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

(ब) सर्वाधिक उपयुक्त प्रस्तावकर्ता से निगोसियेशन किया जा सकेगा।

- (स) मूल्यांकन समिति को अधिकार होगा कि-
  - वह किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकें।
  - किसी प्रस्ताव के आंशिक या पूर्णता से स्वीकार्य कर सकें।
  - समिति के राय में यदि कोई प्रस्ताव ऐसा है कि जो कार्य करने में सक्षम नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर सकेगी।
  - आवेदक द्वारा मिथ्या पूर्ण या कपट पूर्ण जानकारी दिया गया हो या जानकारी जानबुझकर छिपाई गई हो तो उस प्रस्ताव को निरस्त कर संस्था के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

### 13. चयनित कोचिंग संस्था/फर्म के दायित्व :--

- (अ) उपलब्ध कराये जा रहे फैकल्टी की योग्यता/विशेषज्ञता अनुबंध एवं कार्यादेश जारी होने के एक सप्ताह के अंदर फैकल्टी के अध्यापन कौशल परीक्षण में चयनित एवं अंतिम रूप दिए गए फैकल्टी की सूची संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/प्रशासकीय अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वे कोचिंग संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए फैकल्टी सूची का पुनः परीक्षण अपने स्तर से करेंगे तथा रिपोर्ट आयुक्त, कार्यालय को प्रेषित करेंगे। आयुक्त कार्यालय से अनुमोदन पश्चात् फैकल्टी अध्यापन/कोचिंग कार्य प्रारंभ करेंगे। पूर्व से कार्यरत फैकल्टी के अपरिहार्य परिस्थितियों में अनुपस्थिति के कारण स्थानापन्न समकक्ष योग्यता के फैकल्टी की व्यवस्था अधिकतम एक सप्ताह में करना होगा। स्थानापन्न फैकल्टी की योग्यता एवं अनुभव EOI के अनुसार होने पर कार्यालय आयुक्त, मुख्यालय में भेजकर अध्यापन कौशल का परीक्षण कराना होगा तथा इसमें न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। EOI में दर्शित योग्यता होने पर तथा अध्यापन कौशल में निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करने पर कोचिंग फर्म पर पेनाल्टी अधिरोपित की जाएगी। इसका निर्धारण हेतु, तत्काल प्रस्ताव संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि कोचिंग संस्था बार-बार फैकल्टी परिवर्तन कर रही है तो ऐसी स्थिति में अनुबंध निरस्त कर अन्य उपयुक्त कोचिंग संस्था को कार्य आबंटित कर दिया जाएगा।
- (ब) शैक्षणिक प्रविधि– कोचिंग फर्म के फैकल्टी का दायित्व होगा कि वे विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु तैयार करें। विद्यार्थीवार प्रगति का विश्लेषण कर कार्ययोजना बनानी होगी एवं विद्यार्थीवार प्रगति का विवरण रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक शिक्षक प्रारंभ से ही प्रतिदिन का लेशन प्लान तथा शिक्षक डायरी बनायेंगे तथा संस्था के प्राचार्य से उनका अनुमोदन करायेंगे। विद्यार्थियों को इस प्रकार से तैयार किया जाये कि उनके क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता, विश्लेषणात्मकता, तार्किक क्षमता में वृद्धि हो। हिन्दी, अंग्रेजी के भाषा में निपुण हो तथा संप्रेषण क्षमता उत्कृष्ट स्तर का हो। विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के स्तर से साथ–साथ अध्यापन एवं कोचिंग कराया जायेगा तथा इनका साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छैमाही, प्री–बोर्ड एवं फाइनल परीक्षा आयोजित कर

acer/ EOI 2024- 11th-12th 10

उनका मूल्यांकन किया जायेगा। प्रत्येक फैकल्टी का दायित्व होगा कि वह साप्ताहिक एवं मासिक मूल्यांकन के आधार पर उत्कृष्ट, मध्यम एवं कमजोर बच्चों का वर्गीकरण करें तथा मध्यम एवं कमजोर बच्चे के उपर विशेष कार्य करते हुये उन्हें उत्कृष्ट स्तर पर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा कोचिंग संस्था के भुगतान में कटौती की जायेगी। प्रत्येक फैकल्टी को यह रिकार्ड रखना होगा कि अमुक विद्यार्थी किस विषय में एवं किन कारणों से कमजोर है तथा फैकल्टी द्वारा इस संबंध में क्या कार्ययोजना बनाई गई है का विद्यार्थीवार पूर्ण विवरण प्रशासकीय अधिकारी को प्रतिमाह सबमिट करना होगा तथा कोचिंग संस्था के संचालक की उपस्थिति में सभी फैकल्टी की समीक्षा प्रत्येक माह के 05 तारीख तक सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में की जाएगी। समीक्षा पश्चात् मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भेजी जाएगी।

कोचिंग सस्था को विद्यार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल मूल्यांकन हेतु टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट / प्रैक्टिस पेपर एवं ऑन—लाईन प्रिंटिग एवं अवलोकन टेस्ट लिया जा कर मूल्यांकन सुविधा उपलब्ध कराना होगा।

मध्यम एवं कमजोर बच्चों के शैक्षणिक प्रगति सुधारने हेतु ठोस कार्ययोजना बनाई जायेगी एवं इसका कियान्वयन किया जायेगा। विद्यार्थियों की प्रगति में सुधार न होने पर कोचिंग संस्था एवं प्रशासकीय अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।

- (स) विद्यार्थियों को पूर्व वर्ष के प्रश्नपत्रों के आधार पर तैयारी कराया जाना
  - i. अखिल भारतीय स्तर की कोचिंग के लिए प्रत्येक विषय में चैपटर वाईस (कक्षा 11वी, 12वी) के विगत 10 वर्षो के प्रश्न–पत्रों (जैसे गणित, विज्ञान, जेईई मेन्स/एडवांस, नीट, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, एनडीए इत्यादि) परीक्षाओं के प्रश्न निकालकर उसके आधार पर अंतिम परीक्षा पूर्व न्यून्तम 10 मॉक टेस्ट लेना अनिवार्य होगा। मॉक टेस्ट का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों के कमियों को दूर किया जायेगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारी आवश्यक सुझाव भी दे सकेंगे।
- (द) मनोवैज्ञानिक / कैरियर काउन्सलर का दायित्व प्रयास आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जीवन निर्माण हेतु काफी परिश्रम करना पड़ता है परिणामस्वरूप विद्यार्थी कभी कभी तनावग्रस्त होते रहते है तथा मनोबल भी गिरता है। ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिक के रूप में कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक दिन कक्षाओं में जायें तथा विद्यार्थियों से सामान्य चर्चा कर उनकी मनोदशा का अध्ययन करें। तनावग्रस्त एवं कमजोर मनोबल वाले विद्यार्थी पाये जाने पर नियमित काउसलिंग करे तथा इन्हें इस स्थिति से बाहर लाये। इस प्रकार काउंसलिंग किये गये बच्चों की जानकारी दिनांकवार एक पंजी में दर्ज करें, जिसमें बच्चें की समस्या तथा उसके निराकरण की जानकारी उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त प्रति सप्ताह कैरियर से संबंधित समाचार पत्रों, रोजगार नियोजन, रोजगार समाचार के माध्यम से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण रोजगार सूचनाओं को सूचना पटल पर प्रदर्शित करें तथा साप्ताहिक विभिन्न कैरियर के अवसरो की जानकारी हेतु कक्षा भी लेवें।
- (ई) प्रोजेक्ट इन्चार्ज / समन्वयक का दायित्व— प्रयास संस्था हेतु कोचिंग फर्म द्वारा नियुक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज का दायित्व होगा कि वह प्रयास स्कूल में सभी शिक्षकों एवं प्रशासकीय अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करें। शिक्षक की उपलब्धता, निरंतर शाला में बनी रहें, शिक्षक अनुपस्थित न रहें। शिक्षकों का समय पर वेतन प्राप्त होता रहें इस हेतु वह निरंतर कोचिंग संस्था के संचालक से बात कर प्रतिमाह भुगतान कराये। काचिंग संस्था द्वारा दी जा रही स्टडी मटेरियल

एवं अन्य सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इनका दायित्व होगा कि सभी विद्यार्थी जो जिस स्ट्रीम के है, उनसे संबंधित स्ट्रीम के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं का फार्म भरवाना, परीक्षा में शामिल कराना, उपस्थित शिक्षकों द्वारा लिये गये परीक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा परफारमेन्स तथा प्रतिमाह प्रश्नपत्र आदि की उपलब्धता तथा इसका सत्यापन प्रशासकीय अधिकारी से कराना।

- (फ) परीक्षा पश्चात् अन्य सहायता कोचिंग संस्था का दायित्व होगा कि बोर्ड परीक्षा / प्रतियोगी परीक्षा समाप्ति पश्चात् भी परीक्षा परिणाम के संबंध में विद्यार्थियों को एवं विभाग को सूचना देना, जानकारी देने का कार्य करेंगे। किसी कक्षा के वार्षिक परीक्षा पश्चात् विद्यार्थियों के अगले कक्षा के पाठ्यक्रमों का मूलभूत परिचय, व्यक्तित्व विकास, इंग्लिश स्पीकिंग, विज्ञान मॉडल निर्माण जैसे रचनात्मक कार्यों का प्रशिक्षण देने हेतु उस वर्ष के अनुबंध अवधि तक के लिए प्रशासकीय अधिकारी एवं सहायक आयुक्त के साथ मिलकर कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित करायेंगे तथा बनाए गए कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन की उपलब्धि से मुख्यालय को पूर्ण विवरण के साथ अवगत करायेंगे।
- (2) फैकल्टी के लिये आचार संहिता शिक्षण तथा कोचिंग कार्य में नियोजित शिक्षको को विद्यालय के गरिमा के अनुरूप अनुशासन, आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। विषय शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्राप्त कानूनी अधिकार एवं हित का उल्लंघन किये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में विषय शिक्षक उपलब्ध कराने के पूर्व शिक्षक के संबंध में संपूर्ण जांच करने की जिम्मेदारी तथा इन तथ्यो से पूर्णतः अवगत कराने का दायित्व संबंधित कोचिंग संस्था की होगी। किसी फैकल्टि को पूर्व में विद्यार्थियों से अभद्रता करने या किसी शिकायत के आधार पर कार्य से पृथक किया गया हो ऐसे फैकल्टि को किसी भी प्रयास आवासीय विद्यालय में अध्यापन कार्य में नियोजित न किया जाये। विद्यालय के लिए नियुक्त शिक्षक / फैकल्टी किसी अन्य कोचिंग या निजी कोचिंग में संलग्न नही किये जाएंगे। शिक्षक विद्यालय के लिए पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करेंगे।
  - 14. फैकल्टी के लिए आवासीय सुविधा— कोचिंग संस्था को फैकल्टी के लिए विद्यालय के बाहर यथा संभव समीप में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना होगा।

(अ) कोविड/संकटकालीन स्थिति में शिक्षा व्यवस्थाएं– कोचिंग संस्थाओं को आवश्यकता अनुसार कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों को ऑनलाईन अध्यापन एवं कोचिंग देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा।

(ब) दस्तावेजों का सत्यापन—प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण—पत्रों/दस्तावेजो की सत्यता का दायित्व संबंधित कोचिंग संस्था का होगा। इस हेतु ओरिजनल नोटराईज्ड शपथ पत्र संस्था द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(स) फैकल्टी द्वारा अध्यापन हेतु प्रतिदिन की अवधि– शिक्षक को प्रतिदिन न्यूनतम 08 घंटे का अध्यापन एवं अध्यापन से संबंधित अन्य कार्य करना होगा इसके अंतर्गत प्रतिदिन पाठ्यक्रम की योजना तैयार करना, टीचर डायरी तैयार करना, विद्यार्थियों को दिये गये होमवर्क की जांच करना, कक्षा अध्यापन करना, डाउट क्लास लेना तथा कमजोर बच्चों के लिये विशेष कक्षाएं लेना तथा मूल्यांकन किया जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त प्राचार्य/प्रशासकीय अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य करना शामिल होगा।

### 15. कोचिंग संस्था को भुगतान का तरीका –

- (अ) भुगतान हेतु निम्नानुसार मानक प्रक्रिया निर्धारित की गई है किंतु अपरिहार्य/संकटकालीन स्थिति में इस प्रक्रिया में समिति द्वारा विचार कर विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से संशोधित प्रक्रिया तय की जा सकती है, जो सभी को मान्य होगा।
  - I. सत्र 2025–26 (कक्षा 11वीं) से सत्र 2026–27 (कक्षा 12वीं) तक कुल दो वर्ष के लिए एक समान दर पर कोचिंग संस्थाओं को शर्तों के अधीन अनुबंधित किया जायेगा।
  - II. कुल दो वर्श में कुल अनुबंधित राशि का 80 प्रतिशत राशि का भुगतान दो वर्षों में विभिन्न चरणों में किया जायेगा तथा शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रोजेक्ट समाप्त होने के पश्चात् कोचिंग संस्थओं के द्वारा किए गये अध्यापन एवं विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में उपलब्धि के आधार पर किया जायेगा।
  - III. कक्षा 11वीं एवं 12वीं (दो वर्ष) में कुल अनुबंधित राशि का 80 प्रतिशत का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा – कंडिका–13 (I) में प्रावधान अनुसार पात्र पाये जाने पर कक्षा 11वीं एवं 12वीं (दो वर्ष) के लिए कुल अनुबंधित राशि के 80 प्रतिशत राशि का भुगतान विभिन्न चरणों में किया जायेगा।
  - IV. कोचिंग संस्था को प्रत्येक 02 माह में उसके द्वारा प्रस्तुत देयक के आधार पर परीक्षण उपरांत तीसरे माह तक भुगतान किये जाने का प्रयास किया जायेगा।
  - V. अनुबंधित राशि की गणना शाला में प्रवेश की अंतिम तिथि तक प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या एवं अनुबंधित दर के आधार पर किया जायेगा।
  - VI. प्रत्येक भुगतान के पूर्व नियमानुसार समस्त कर एवं कटौतियाँ की जायेंगी।

(ब) कोचिंग संस्थाओं को विभिन्न चरणों में राशि के भुगतान का तरीका –

(1) कोचिंग संस्था द्वारा देयक प्रस्तुत करने का प्रक्रिया— कोचिंग संस्था के छत्तीसगढ़ राज्य में जी.एस.टी.पंजीयन पर अपना देयक ऑनलाईन/ऑफलाईन विभाग जैसा निर्धारित करें की पद्धति में प्रत्येक माह के 05 तारीख तक निम्नांकित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा —

I. प्रत्येक माह में किए गए फैकल्टी को भुगतान का प्रमाणिक दस्तावेज।

माह में कार्यरत रहे फैकल्टी विवरण :-

क्र.	डेमो उपरांत अनुमोदित	वास्तविक कार्यरत	अध्यापन	माह में उपस्थित	माह में अनुपस्थित
	फैकल्टी का नाम	फैकल्टी का नाम	का विषय	दिन की संख्या	दिन की संख्या
1	2	3	4	5	6

टीपः— माह में फैकल्टी का अधिकतम एक दिन अनुपस्थिति/अवकाश मान्य होगा। डेमो से छूट दिया गया है तो छूट की अनुमति संलग्न करना होगा।

III. शैक्षणिक मूल्यांकन में न्यूनतम 10 प्रतिशत विद्यार्थियों का 85 प्रतिशत अंक प्राप्त की मेरिट कम से सची

क्र.	विद्यार्थी का नाम	विषयवार प्राप्तांक (कक्षा के विषयानुसार)						कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
		हिंदी	अंग्रेजी	गणित	जीव विज्ञान	रसायन	भौतिकी			

IV. शैक्षणिक मूल्यांकन में 75 प्रतिशत विद्यार्थियों का 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त की मेरिट कम से सूची (गणित समूह)—

क्र.	विद्यार्थी का नाम	विषयव	गर प्राप्तांक (क	कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत	
		गणित	भौतिकी	रसायन			

शैक्षणिक मूल्यांकन में 75 प्रतिशत विद्यार्थियों का 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त की मेरिट V. कम से सूची (जीव विज्ञान समूह)-

क्र.	विद्यार्थी का नाम	विषयवार प्राप	विषयवार प्राप्तांक (कक्षा के विषयानुसार)				प्रतिशत
		जीव विज्ञान	भौतिकी	रसायन	-		
							i.

शैक्षणिक मूल्यांकन में दोनों संकाय के शेष 15 प्रतिशत विद्यार्थियों का न्यूनतम 60 प्रतिशत VI. अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मेरिट कम से सची-

क्र.	विद्यार्थी का नाम	1	विषयवार प्राप्तांक (कक्षा के विषयानुसार)					कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
		हिंदी	अंग्रेजी	गणित	जीव विज्ञान	भौतिक	रसायन			

शैक्षणिक मूल्यांकन में दोनो संकाय में पृथक–पृथक न्यनूतम 60 प्रतिशत अंक से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मेरिट कम से सची– VII.

क्र.	विद्यार्थी का नाम	विषयवार प्राप्तांक (कक्षा के विषयानुसार)					कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत	
		हिंदी	अंग्रेजी	गणित	जीव विज्ञान	भौतिक	रसायन	con		

- प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से ब्राइट विद्यार्थियों (न्यूनतम 50 प्रतिशत से उपर) की मेरिट VIII. क्रम में सूची उपरोक्त प्रपत्र में।
  - प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से मध्यम विद्यार्थियों (न्यूनतम 40 प्रतिशत से उपर एवं 50 IX.
  - प्रतिशत तक) की मेरिट क्रम में सूची उपरोक्त प्रपन्न में। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों (न्यूनतम 30 प्रतिशत से उपर एवं 40 प्रतिशत तक) की मेरिट क्रम में सूची उपरोक्त प्रपन्न में Х.
  - विचाराधीन माह में नूपस्थित फैकल्टी के स्थान पर स्थानापन्न (Subsitute) फैकल्टी का XI. विवरण :--

क्र.	अनुपस्थित फैकल्टी का नाम	स्थानापन्न	न फैकल्टी का विवरण	शैक्षणिक योग्यता	एवं
		नाम	अध्यापन विषय	अनुभव (EOI) अनुसार	

शिक्षक डायरी :- प्रशासकीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित संलग्न किया जाए। XII.

पाठ योजना :- प्रशासकीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित संलग्न किया जाए। XIII.

मनोवैज्ञानिक / करियर काउंसलर द्वारा विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्य तथा XIV. फालोअप का विवरण।

शारीरिक शिक्षक/योग शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के प्रतिमाह कराई गई गतिविधियों का विवरण (NDAविद्यार्थियों के विशेष संदर्भ में) XV.

- XVI. NDA विद्यार्थियों के मानसिक योग्यता परीक्षण अंतर्गत लिए गए पाठ्यक्रम एवं उसमें विद्यार्थियों की उपलब्धि।
- XVII. प्रयास आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के वैज्ञानिक सोंच एवं विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विज्ञान क्लब, विज्ञान दिवस, वैज्ञानिकों के जन्मदिवस मनाये जाने का विवरण।

XVIII.

 कोचिंग संस्था द्वारा विद्यार्थियों को प्रदाय किए जाने वाले स्टडी मटेरियल का विवरण निम्नांकित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगाः-

ক্र.	स्टडी मटेरियल का विवरणा	प्रदाय दिनांक	विद्यार्थी के हस्ताक्षर	प्रशासकीय अधिकारी का हस्ताक्षर
				27

सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर

### (स) मानकों के अनुरूप कार्य नहीं होने पर कटौतियाँ –

I. फैंकल्टी के अनुपरिथित रहने पर स्थानापन्न फैंकल्टी की व्यवस्था होने तक प्रत्येक अनुपरिथत फैंकल्टी के लिए कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए प्रति दिवस 2500/- से मान से कटौती की जाएगी।

II. अनुपस्थित फैकल्टी के स्थान पर (Subsitute) फैकल्टी तभी मान्य किया जाएगा जब फैकल्टी किसी वैध कारणों से अनुपस्थित रहा हो। 03 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर वैध कारणों का प्रमाणित दस्तावेज के साथ मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

III. Subsitute फैंकल्टी EOI में उल्लेखित योग्यता अनुसार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में पैनल में उपलब्ध कराये गये फैंकल्टी के बाहर फैंकल्टी उपलब्ध कराने पर प्रतिमाह प्रति Subsitute फैंकल्टी के मान से 10,000 / – पेनाल्टी कटौती की जाएगी। यदि 01 माह से अधिक फैंकल्टी उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो, अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही पर विचार किया जावेगा।

IV. कोचिंग संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये फैकल्टी के पैनल सूची में से Subsitute उपलब्ध कराने पर कोई कटौती नही होगी।

V. स्थानीय परीक्षा/बोर्ड परीक्षा का मासिक आधार पर मूल्यांकन में कम से कम 10 प्रतिशत विद्यार्थियों का 85 प्रतिशत से अधिक अंक हो तथा 75 प्रतिशत विद्यार्थियों का 70 प्रतिशत से अधिक अंक न पाये जाने पर तथा शेष विद्यार्थियों अर्थात् 15 प्रतिशत का 60 प्रतिशत से कम अंक होने पर प्रतिमाह देयक से 10 प्रतिशत कटौती की जायेगी।

VI. प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न पर मासिक मूल्यांकन में न्यूनतम 10 प्रतिशत विद्यार्थी 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त न करने पर तथा न्यूनतम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों का प्राप्तांक 30 प्रतिशत से कम होने पर 10 प्रतिशत कटौती की जायेगी।

VII. प्रतिमाह की कार्ययोजना अनुसार माह की पाठ्य योजना पूर्ण नहीं करने पर 10 प्रति ात रािा का कटौती की जायेगी।

VIII. EOI अनुसार अनुमोदित पाठ्य सामग्री (स्टडीय मटेरियल) उपलब्ध नहीं कराने पर 20 प्रतिशत की राशि प्रतिमाह के बिल से कटौती की जायेगी।

XI. सामान्यतः उपरोक्त आधार पर गणना कर राशियों की कटौती उपरांत राशि का भुगतान किया जाएगा किन्तु कोचिंग संस्था द्वारा जिम्मेदारी से कार्य न किए जाने पर विभागाध्यक्ष द्वारा अन्य पेनाल्टी भी अधिरोपित की जा सकेगी।

X. कटौतियां/पेनाल्टी मासिक आधार पर उपस्थिति/अनुपस्थिति के आधार पर की जायेंगी।

acer/ EOI 2024- 11th-12th 15

## (3) देयकों का परीक्षण एवं भुगतान –

कोचिंग संस्थाओं / फर्म के द्वारा प्रत्येक माह के 05 तारीख तक आव यक अभिलेखों के साथ देयक प्रशासकीय अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रशासकीय अधिकारी द्वारा कोचिंग संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों का विद्यालय में संधारित पंजियों एवं अभिलेखों जिसे प्रतिदिन / प्रतिमाह जैसी स्थिति हो को प्रशासकीय अधिकारी द्वारा जांच किया जाकर प्रमाणित किया जाने का दायित्व है से मिलान कर देयकों का परीक्षण 03 दिवस में करेंगे तथा सहायक आयुक्त / कलेक्टर को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। सहायक आयुक्त का दायित्व होगा कि वे देयकों का परीक्षण एक सप्ताह में करेंगे तथा कलेक्टर को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। स्वीकृति अनुसार भुगतान की कार्यवाही यथा संभव अधिकतम 15 दिवस में किया जाएगा।

(स) शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान -

(1) शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान कोंचिंग फर्म द्वारा कराये गये अध्यापन के फलस्वरूप कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के निम्नानुसार परिणाम के आधार पर किया जायेगा :--

क्र	विवरण	न्यूनतम उपलब्धि
1	कम से कम 05 प्रतिशत विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम	95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों
2	कम से कम 90 प्रतिशत विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम	कम से कम 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों
3	IIT या समकक्ष की अंतिम प्रतियोगी परीक्षा उपरांत B.Tech पाठ्यक्रम में चयन उपरांत संस्थान में प्रवेश	न्यूनतम १० प्रतिशत
4	NIT या समकक्ष की अंतिम प्रतियोगी परीक्षा B.Tech पाठ्यक्रम में चयन उपरांत संस्थान में प्रवेश	न्यूनतम 20 प्रतिशत
5	NEET मेडिकल प्रवेश परीक्षा द्वारा MBBS पाठ्यक्रम हेतु चयन उपरांत संस्थान में प्रवेश	न्यूनतम 10 प्रतिशत
6	उपरोक्त क्रमांक 02, 03, 04 के अतिरिक्त प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों यथा IISc, TIFR, JNU, DU, NLU, NATA,ICAR, NDA एवं समकक्ष संस्थानों में प्रवेश	न्यूनतम 10 प्रतिशत
7	CA, CS, CMA, CLAT, BANKING पाठ्यक्रम में अंतिम चयन	न्यूनतम 10 प्रतिशत
8	CUCET के माध्यम से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश	न्यूनतम 20 प्रतिशत
9	व्यापम द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन उपरांत प्रवेश	न्यूनतम 20 प्रतिशत

टीपः— गणित समूह के विद्यालय हेतु 1,2,3,4,6,8,9 प्रभावशील होगा। जीवविज्ञान समूह हेतु 1,2,5,6,8,9 प्रभावशील होगा, वाणिज्य एवं कला समूह हेतु 1,2,6,7,8,9 प्रभावशील होगा।

(2) उपरोक्त अनुसार कोचिंग संस्थाओं द्वारा परीक्षा परिणाम प्राप्त किए जाने पर अनुबंध समाप्ति तथा विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर कोचिंग फर्म को निम्नांकित दस्तावेज प्रमाणित कर प्रशासकीय अधिकारी के समक्ष देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा :--

- पूर्व में किये गये भुगतान का जी.एस.टी. जमा करने का प्रमाण पत्र तथा समस्त करों का विवरण।
- II. कोचिंग कार्य करने हेतु नियोजित शिक्षको को कोचिंग संस्था/फर्म के खाते से शिक्षकों/फैकल्टी के बैंक खातें में उनके लिए तय पारिश्रमिक की राशि जमा कर दिये जाने के प्रमाण स्वरूप बैंक स्टेटमेंट/प्रमाण–पत्र।
- III. मासिक, त्रैमासिक, छःमाही, प्री–बोर्ड एव अंतिम बोर्ड परीक्षा परिणाम।
- IV. प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थीवार मूल्यांकन, प्रतियोगी परीक्षाओं मे अंतिम रूप से चयन एवं प्रवे ा होने के प्रमाण स्वरूप प्रवेिात संस्थान का जारी प्रमाण पत्र।

V. शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षक डायरी, लेसन प्लान आदि।

(3) प्रशासकीय अधिकारी द्वारा कोंचिंग संस्थाओं से प्राप्त अंतिम देयक एवं संलग्न प्रमाणित अभिलेखों को 15 दिवस में परीक्षण एवं जांच उपरांत प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर परीक्षण रिपोर्ट सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को प्रस्तुत किया जायेगा। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास

द्वारा परीक्षण उपरांत अनुसंशा सहित प्रस्ताव 15 दिवस में विभागाध्यक्ष / आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) आयुक्त, कार्यालय में प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् मुख्यालय स्तर पर गठित परीक्षण समिति द्वारा परीक्षण उपरांत समिति के अनुसंशा के आधार पर अंतिम भुगतान का निर्णय लिया जायेगा। किन्ही विशेष परिस्थितियों जैसे कोविड–19 आदि के कारण उक्त अवधि में कंडिका–13 (स) (1) अनुसार अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने पर सम्पूर्ण परीक्षा परिणाम का तुलनात्मक विश्लेषण कर अनुपातिक कटौती का निर्णय ले सकेगी।

16. अनुबंध की अन्य शर्ते –

- अनुबंध की व्याख्या भारत में लागू कानून अनुसार होगी।
- (ii) अनुबंध की अवधि "रूचि की अभिव्यक्ति" में दर्शित तथा अनुबंध अनुसार अनुबंध की अवधि लागू होगी।
- (iii) रूचि की अभिव्यक्ति में दर्शाएं अनुसार अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा।
- (iv) Sublet पर प्रतिबंध :- कोचिंग संस्था द्वारा किसी अन्य को कार्य Sublet किया जाना पाया जाता है, तो अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।
- (v) करों की कटौती :- इसके संबंध में सेवा संबंधी कार्यो के लिए भारत शासन द्वारा लागू टैक्स के नियम अनुसार राशि जमा करनी होगी। इसी प्रकार आयकर संबंधी नियम अंतर्गत आयकर के स्त्रोत TDS एवं GST का नियमानुसार कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य जो कर लागू है उनकी भी कटौती की जा सकेगी।
- (vi) कोचिंग संस्था का उनके फैकल्टि/मानव संसाधन से संबंधित लेबर—लॉ, PF/ESI इत्यादि के अनुपालन की जिम्मेदारी कोचिंग संस्था पर होगी।
- (vii) अनुबंध का समाप्त किया जाना :- शर्तो के उल्लंघन के आधार पर 15 दिवस के नोटिस पर अनुबंध समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार फर्म के दिवालिया होने पर भी अनुबंध समाप्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा शासन / विभाग को भी हानि की भरपाई कोचिंग फर्म के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर पूर्ण की जावेगी।
- (viii) योजना का नियंत्रण संचालन एवं समीक्षा :-- योजना का कियान्वयन जिला कलेक्टर के अधीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा किया जायेगा तथा प्रयास स्कूल स्तर पर प्रशासकीय अधिकारी/प्राचार्य के नियंत्रण में कोचिंग फर्मो को कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर कोचिंग फर्म द्वारा किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता, कार्ययोजना अनुसार कार्य तथा उपलब्धि की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा में पाई गई कमियों का निराकरण करना होगा अन्यथा नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- (ix) प्रचार—प्रसार :-- कोचिंग फर्म को इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से किसी प्रकार की घोषणा व जानकारी देने का अधिकार नहीं होगा।
- (x) विवाद की स्थिति में निपटारे की प्रक्रिया :- सर्वप्रथम विवाद की स्थिति में अभ्यावेदन जिला कलेक्टर को दिया जा सकेगा इसके पश्चात इस निर्णय पर संतुष्ट न होने पर प्रथम अपील विभागाध्यक्ष, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर (छ.ग.) तथा द्वितीय अपील सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को की जा सकेगी। इनका निर्णय अंतिम होगा। अन्य स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार रायपुर, छ.ग. होगा।

भुगतान किया जायेगा। ऑनलाईन शिक्षण के लिए पृथक से किसी प्रकार की कोई राशि देय नहीं होगी।

- (xii) मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनान्तर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु संशोधित नियमावली वर्ष 2020 द्वारा जारी दिनांक 16.09.2021 में उल्लेख अनुसार तथा प्रकाशित ''रूचि की अभिव्यक्ति'' में उल्लेखित नियम एवं शर्तो के अधीन होगा।
  - 17. रूचि की अभिव्यक्ति का निरस्तीकरण :– किसी भी अपरिहार्य स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा''रूचि की अभिव्यक्ति'' की तिथि में वृद्धि की जा सकेगी या आवश्यकता पड़ने पर निरस्त किया जा सकेगा। इस पर किसी भी प्रकार का अभ्योवदन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
  - 18. "रूचि की अभिव्यक्ति" के कंडिकाओं की व्याख्या का अधिकार :- "रूचि की अभिव्यक्ति" के किसी भी कंडिका के संबंध में व्याख्या/ संशोधन का अधिकार आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास/जिला कलेक्टर को निहित होगा।

कलेक्ट COLLECTOR जिला ..... DISTRICT BASTAR

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 11वीं/12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण (वर्ष 2025–26) (रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक ...... दिनांक ...... के संदर्भ में)

कोचिंग संस्था द्वारा किस–किस विद्यालय के लिए आवेदन किया गया है।

1..... 3.....

भाग–एक (प्रथम लिफाफा)

(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी अभिलेख)

क्र.				विवरण	संबंधित अभिलेख संलग्न किया जावे			
1.				न भारत सरकार या छत्तीसगढ़ शासन के अधीन				
	निम्नां	केत प्रकार के फर्म अंतर्ग	त पंजी	कृत होना चाहिए।				
	क्र.	फर्म का प्रकार		पंजीयन				
	1	1 पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रार फर्म द्वारा जारी प्रमाण-पत्र						
	2	कम्पनी एक्ट / LLP	रजिस	ट्रार ऑफ कंपनी अंतर्गत पंजीयन				
	3	ट्रस्ट	राजिर	ट्रार द्वारा जारी ट्रस्ट के पंजीयन संबंधी दस्तावेज				
2.	4	सोसायटी	राजिर पंजीय	ट्रार ऑफ सोसायटी अधिनियम—1860 का न				
	5 प्रोपराईटरशिप फर्म गुमाश्ता एक्ट अंतर्गत पंजीकृत							
	प्राप्त ह की ज	होने अथवा शिकायत प्राप एगी।	त होने	नतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही Franchise मान्य नहीं होगा।				
	होना चाहिए तथा इसका प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। यदि टैक्स में छूट प्रदान किया गया है तो संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। कार्य मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य के GST Number से बिलींग की जावेगी। टीप : पेन, टेन एवं जीएसटी नंबर आवेदक के नाम से होना चाहिए।							
	क्र.	दस्तावेज	141.0	विवरण				
	1	पेन		PAN प्रमाण पत्र संलग्न करें।				
	2	टेन		TAN प्रमाण पत्र संलग्न करें।				
	3	जीएसटी नंबर		Chhattisgarh GST प्रमाण पत्र संलग्न करें।				
3.	(I) व	जेचिंग फर्म का प्रतियोग	गी परीध	क्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यो का <b>विगत 03 वर्षो</b>				
	2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का औसत टर्न ओव्हर रू. 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। टर्न ओव्हर में फर्म द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों / व्यापारिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आय / संपत्ति को इसमें शामिल न किया जाए। फर्म को प्रमाण स्वरूप विगत 3 वर्षो में 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का अंकेक्षण प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट), बैलेन्स शीट प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त चार्टड एकाउन्टेन्ट का एक प्रमाण पत्र जिसमें विगत तीनों वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कार्यो से संबंधित टर्न ओवर का पृथक–पृथक उल्लेख हो। (II) कोचिंग फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यो के व्यवसाय का माह मार्च 2025 का GST रिटर्न (GSTR-3B) का विवरण।							

4

	and the second second	कोचिंग फर्म का वित्तीय वर्ष 20 rn Acknowledgement संलग्न	20—21, 2021—22 एवं 2022—23 का Income करें।	Tax						
	क्र.	दस्तावेज	विवरण							
	1	टर्न ओव्हर सटिफिकेट	संलग्न प्रारूप अनुसार (परिशिष्ट–EC-5)							
	2	ऑडिट रिपोर्ट	वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का संलग्न करें।							
	3	आईटी रिटर्न	वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का सलग्न करें।	an I						
	4	जीएसटी रिटर्न	माह मार्च 2025 का GST रिटर्न (GSTR-3B) संलग्न करें।							
4.	अमान	त राशि के रूप में कंडिका–03	में दिये गये विवरण अनुसार प्रत्येक कार्य के	लिए						
		त राशि ऑनलाईन जमा करना		Ters						
5.	भारत	भारत देश के अंतर्गत किसी भी राज्य में शासन/लोक उपक्रम/विभाग/एजेंसी अंतर्गत								
	कोचिंग फर्म को काली सूची में न डाला हो और न ही कोई कारण बताओं नोटिस जारी									
	किया	किया गया हो और यदि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो तो उसका निराकरण								
	हो गर	हो गया हो। पूर्व में सभी शिक्षको के वेतन भुगतान की कोई भी शिकायत लंबित नहीं								
	होनी च	होनी चाहिए। इस संबंध में संलग्नक EC-08 के प्रपन्न में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।								
6		क का पी.एफ. तथा ई.एस.आई भ								
	पी.एफ. तथा ई.एस.आई में रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें। EC-09									
	क्र.	दस्तावेज	विवरण							
	1	पी.एफ. पंजीयन सर्टिफिकेट	पंजीयन सर्टिफिकेट संलग्न करें।							
	2	ई.एस.आई.सी.	पंजीयन सर्टिफिकेट संलग्न करें।							

अनिवार्य न्यूनतम योग्यता के मूल्यांकन हेतु संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की जानकारी (EC-1 से EC-9 तक) प्रथम लिफाफा हेतु

क्र.	परिशिष्ट	विवरण
1.	परिशिष्ट–EC-1	(Incorporation Certificate of farm/ company/ society)
2.	परिशिष्ट EC-2	<ul> <li>PAN प्रमाण पत्र संलग्न करें।</li> <li>TAN प्रमाण पत्र संलग्न करें।</li> </ul>
3.	परिशिष्ट EC-3	<ul> <li>छत्तीसगढ़ GSTIN प्रमाण पत्र संलग्न करें।</li> <li>माह मार्च वर्ष 2025 का GST रिटर्न</li> </ul>
4.	परिशिष्ट EC-4	Income Tax Return Acknowledgement For Financial Year 2021-22, 2022-23, 2023-24 संलग्न करें।
5.	परिशिष्ट– EC-5	<ul> <li>कोचिंग संस्था / फर्म के टर्न ओव्हर संबंधी (CA) का प्रमाण–पत्र (प्रारूप संलग्न)</li> <li>वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 का ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें।</li> </ul>
6.	परिशिष्ट– EC-6	GST/IT से छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (यदि लागू हो तो)
7.	परिशिष्ट– EC-7	पॉवर ऑफ एटार्नी हेतु घोषणा पत्र (प्रारूप संलग्न) (रू. 50 / – के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)
8.	परिशिष्ट— EC-8	कोचिंग फर्म/संस्था/कम्पनी को काली सूची/खराब प्रदर्शन के आधार पर दण्डांत्मक कार्यवाही न होने संबंधी स्वघोषणा प्रमाण–पत्र (Self Declaration) (प्रारूप संलग्न) (रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)
9.	परिशिष्ट— EC-9	<ul> <li>पी.एफ. में रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें।</li> <li>ई.एस.आई में रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें।</li> </ul>

#### प्रारूप –

## परिशिष्ट– EC-5

### कोचिंग संस्था/फर्म के टर्न ओव्हर संबंधी (CA) का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कोचिंग संस्था / फर्म का नाम तथा पता ..... ...... का ऑडिट रिपोर्ट का मैने पूर्ण रूप से परीक्षण कर लिया है, जिसके आधार पर JEE/NEET/CA, CS, CMA & CLAT की कोचिंग से संबंधित टर्न ओव्हर निम्नानुसार है :--

क्रमांक	वर्ष	टर्न ओव्हर (राशि लाख में)
1	2020-21	
2	2021-22	
3	2022-23	

कोचिंग संस्था⁄फर्म के संचालक का हस्ताक्षर एवं सील

> Signature of Statutory Auditor with Seal UDIN No.

acer/EOI 2024- 11th-12th 23

प्रारूप –

# <u>परिशिष्ट— EC-7</u> <u>पॉवर ऑफ एटार्नी हेतु घोषणा पत्र</u> (50 रू. के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

कलेक्टर जिलाछ.ग. छ.ग. द्वारा जारी '' <b>रूचि की</b>
अभिव्यक्ति" निविदा हेतु छ.ग. राज्य में स्थापित समस्त प्रयास आवासीय विद्यालय हेतुं
हमारी फर्म / संस्थापतापता
की ओर से मैंआत्मज
से अधिकृत होकर नाम
पूरा पताआत्मज आधार क्रमांक
को फर्म / कम्पनी / संस्था की ओर से इस प्रकाशित ''रूचि की अभिव्यक्ति''
के संबंध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर डिस्कशन/बैठक में शामिल
होने / निगोशियेशन / अनुबंध करने तथा इस प्रोजेक्ट के संचालन करने हेतु अभिलेखों पर
हस्ताक्षर करने तथा अन्य किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करता हूँ।
यह भी प्रमाणित करता हूं कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार के न्यायालयीन या
अपराधिक प्रकरण में लिप्त नहीं है। इनके द्वारा किसी भी प्रकार का नियमों का उल्लंघन
किया जाता है तो इसके लिए हमारे फर्म पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

फर्म के मालिक/साझेदार/संचालक के हस्ताक्षर एवं सील (जो कंपनी/फर्म के बॉयलॉज अनुसार Power of Attorney जारी करने हेतु सक्षम)

### गवाह के हस्ताक्षर

प्रारूप –

## <u>परिशिष्ट— EC-8</u>

## कोचिंग फर्म/संस्था/कम्पनी को काली सूची/खराब प्रदर्शन के आधार पर दण्डांत्मक कार्यवाही न होने संबंधी स्वघोषणा प्रमाण–पत्र (Self Declaration) (रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

हमारी संस्था/फर्म/कम्पनी..... की ओर से मैं...... पूरा पता...... की ओर से मैं...... (संचालक का नाम) आज दिनांक ...... की स्थिति में घोषणा करता हूँ कि किसी भी शासन विभाग स्थानीय प्रशासन/एजेंसी छत्तीसगढ़/भारत देश/भारत देश से बाहर हमारे फर्म को किसी भी कारण से कार्य करने से प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, और न ही हमारी संस्था पर किसी प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही की गई है।

आदिम जाति तथा अनूसूचित जाति विकास विभाग / कलेक्टर ..... द्वारा हमारी संस्था / फर्म / कम्पनी के ऊपर किसी भी प्रकार के खराब प्रदर्शन अथवा कोचिंग संस्था में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं करने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का निराकरण कर लिया गया है तथा कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

उपरोक्त के संबंध में किसी भी स्तर पर गलत, मिथ्यापूर्ण जानकारी पाए जाने पर विभाग द्वारा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर दिये जाने पर मेरी जिम्मेदारी होगी। इस पर मैं सहमति प्रदान करता हूँ।

> फर्म के मालिक / साझेदार / संचालक के हस्ताक्षर एवं सील

गवाह के हस्ताक्षर

acer/ EOI 2024- 11th-12th 25

# <u>परिशिष्ट–TE-1</u>

(संस्था का सामान्य परिचय–पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1.(अ) पंजीकृत कोचिंग संस्था का नाम	:
(ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता	:
(स) दूरभाष (कोड सहित)	
(द) कोचिंग संस्था के संचालक का नाम	
एवं पता/मोबाईल नम्बर	:
2. कोचिंग संस्था किस समिति/फर्म/कम्पर्न	ी के अंतर्गत संचालित है :
(अ) समिति / फर्म / कम्पनी का नाम	
(ब) समिति/फर्म/कम्पनी के कार्यालय	3
का पूर्ण पता	:
	:
(स) दूरभाष (कोड सहित) तथा	
अधिकृत मोबाईल नम्बर	:
(द) फर्म द्वारा किन–किन स्थानों पर	:
कोचिंग संस्थाएं का संचालन किया जा रह	हा है:
3. (अ) समिति / फर्म / कम्पनी किस एक्ट के	तहत पंजीकृत हैः
(ब) समिति/फर्म/कम्पनी का जीवित पंज	
एवं बायलॉज की प्रमाणित प्रति	:
(स) समिति / फर्म / कम्पनी का वैद्यता दिन	नांक ः
(द) समिति / फर्म / कम्पनी के गर्वनमेन्ट ब	गॉडी
की अंतिम बैठक का दिनांक	
(इ) समिति/फर्म/कम्पनी के अंतिम बैठव	व
की आम सभा का दिनांक	;
(प) समिति / फर्म / कम्पनी के गर्वनिंग बॉर	डी के
अध्यक्ष एवं सदस्यों/पार्टनर/संचालाकों व	के
नाम, पिता⁄पति का नाम, आयु, लिंग एवं	ं पूर्ण पताः :
4. फर्म / कंपनी के बैक खाता का विवरण :	-
(बैंकपास बुक/स्टेटमेंट जिसमें बैंक खाता	ा का विवरण है संलग्न करें)
(अ) बैंक का नाम — (त) त्रैक का पुजर	
(ब) बैक का पता — (स) बैंक खाता क्रमांक	*
(द) IFSC कोड	

## <u>परिशिष्ट-TE-2</u> (Audit Report & Balance Sheets of three years)

# परिशिष्ट—TE-3

(Details of **THREE SETS** of proposed Teachers/Faculty providing for this Project) Name of Subject .....

S. No.	Neme of Teachers	Qualifications	Name of Institute	Passing Year	Year of Experience	Name of Coaching Institute where teacher served as teacher	Experience Certificate of Teacher in on letter head of Coaching Institute

## <u>परिशिष्ट–TE-4A</u>

### (Year Wise Information of Coaching firm regarding No of students coached and success in different competition like JEE & NEET at National Level- Average of Last Five years)

S. No.	Name of Compititive Exam	No. of students coached at national lelvel by your institute	No. of students got over all rank under 10000 in JEE Mains/20000 rank in NEET at National Level
1	JEE Mains		
2	NEET		
	Info	rmation regarding achiev	ement of other exams
S. Name of Exam No.		No. of students coached at national lelvel by your institute	No. of students finally selected
1	JEE Advance		TP.
2	AIIMS		
3	NTSE (2 <sup>nd</sup> Level)		
4	Science Quç		
5	Olympoid		
6	SCRA		
7	Other Important Exam		

टीप — कृपया जहां तक संभव हो सके साक्ष्य हेतु जानकारी इस प्रकार देवे कि परीक्षण समिति दो सही जानकारी का समाधान हो जाये। इस हेतु विद्यार्थियों का नाम, परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, कोचिंग संस्था में प्रवेश की तिथि, प्रवेश क्रमांक, एवं फीस जमा करने का रसीद क्रमांक, मोबाईल नम्बर, जिला/राज्य का नाम, विद्यार्थी का ओवर आल रैंक, चयन उपरांत शैक्षणिक संस्था का नाम, Allotment Letter आदि जैसे जानकारी संलग्न करें, जिससे उपरोक्त जानकारी का सत्यापन किया जा सके। यह जानकारी Statutory Auditor से प्रमाणित होना चाहिए।

acer/ EOI 2024- 11th-12th 27

### परिशिष्ट–TE-4B

### (Year Wise Information of Coaching firm regarding No of students coached and success in different competition like JEE & NEET at Chhattisgarh State Level- Average of Last Five years)

S. No.	Name of Compititive Exam	No. of students coached at Chhattisgarh State lelvel by your institute	No. of students got over all rank under 10000 in JEE Mains/20000 rank in NEET at Chhattisgarh State Level
1	JEE Mains		
2	NEET		
	Inform	nation regarding achievem	ent of other exams
S. No.	Name of Exam	No. of students coached at Chhattisgarh State lelvel by your institute	No. of students finally selected
1	JEE Advance		
2	AIIMS		
3	NTSE (2 <sup>nd</sup> Level)		
4	Science Quç		
5	Olympoid		
6	SCRA		
7	Other Important Exam		

टीप :- कृपया जहां तक संभव हो सके साक्ष्य हेतु जानकारी इस प्रकार देंवे कि परीक्षण समिति को सही जानकारी का समाधान हो जाये। इस हेतु विद्यार्थियों का नाम, परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, कोचिंग संस्था में प्रवेश की तिथि, प्रवेश क्रमांक, एवं फीस जमा करने का रसीद क्रमांक, मोबाईल नम्बर, जिला/राज्य का नाम, विद्यार्थी का ओवर आल रैंक, चयन उपरांत शैक्षणिक संस्था का नाम, Allotment Letter आदि जैसे जानकारी संलग्न करें, जिससे उपरोक्त जानकारी का सत्यापन किया जा सके। यह जानकारी Statutory Auditor से प्रमाणित होना चाहिए।

# <u>परिशिष्ट-TE-5</u>

### (List of branches of coaching institute in Chhattisgarh)

S. No.	District Name	Name of City where coaching have been estblished	Name of Center incharge and Mobile No.

### परिशिष्ट—TE-6

#### (Study Material)

स्टडी मटेरियल तैयार करने हेतु कोचिंग संस्था के समप्रित विषय विशेषज्ञ, जो कोचिंग संस्था के स्थायी फैकल्टी के रूप में नियुक्त होकर स्टडी मटेरियल तैयार करने वाले टीम के सदस्यों का विवरण :--

क्र.	फैकल्टी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव (वर्ष में)	संस्था में कब से कार्यरत हैं?
1.				
2.				

टीप :-- स्टडी मटेरियल पृथक से कलेक्टर, जिला ..... कार्यालय में जमा करना होगा।

### परिशिष्ट-TE-7

### (Attested Power point presentations on Approch, methodology and strategy) परिशिष्ट-TE-8

#### (Information of Project Incharge for the Project)

S. No.	Name of Project Incharge for this project	Qualifications	Year of Experience	Name of State	Address	Mobile No.

# <u>परिशिष्ट–TE-9</u>

### घोषणा / सहमति पत्र (Declaration) संस्था / फर्म / कम्पनी संचालक की घोषणा

प्रयास संचालन नियमों में यदि कोई संशोधन होता है तो वह मुझे मान्य होगा। विभाग द्वारा अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागोय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध की शर्तो का पालन किया जाएगा।

दिनांक	:	
स्थान		

हस्ताक्षर / मोहर सहित

acer/ EOI 2024- 11th-12th 29

### परिशिष्ट-TE-10

## Any Other Document as per EOI

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन ''रुचि की अभिव्यक्ति'' का आमंत्रण (वर्ष 2024–25)

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक .....दिनांक ..... के संदर्भ में)

वित्तीय प्रस्ताव – भाग–तीन FB-1 (तृतीय लिफाफा हेत्)

क्र.	कार्य का नाम	संचालित कक्षा	विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक कक्षा जो परिवर्तनीय	दर प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह (समस्त कर सहित)		
			含	अंको में	शब्दों में	
1.	प्रयास बालक⁄कन्या आवासीय विद्यालय जिला(छ.ग.)	11वीं (वर्ष 2025—26) 12वीं (वर्ष 2026—27)				

मै उपरोक्त दर प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह (समस्त कर सहित) पर कार्य करनें हेतु सहमत हूं। अंकों एवं शब्दों में लिखे दर में भिन्नता होने पर शब्दों में लिखे गए दर को मान्य किया जाएगा।

#### संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर (पदमुद्रा सहित)

टीपः–

- वित्तीय प्रस्ताव प्रत्येक संस्था निविदा हेतु पृथक–पृथक जमा किया जाना है। आप जिस संस्था हेतु आवेदन करना चाहते है, उसी संस्था का वित्तीय लिफाफा भरें।
- 2. यह वित्तीय प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावे।
- 3. कोई भी कांट—छांट स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा काट—छाट होने पर प्रस्ताव निरस्त किया जायेगा।
- 4. शिक्षण सत्र 2025–26 एवं 2026–27 हेतु प्रयास बालक एवं कन्यां आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को अध्यापन एवं कोचिंग कराये गये माह के आधार पर ही प्रति विद्यार्थी राशि देय होगी।

S. No.	Form	Form Description	EoI Ref. Section	Page No. of Praposal
1	E.C1	Incorporation Certificate		
2	E.C2	PAN/TAN Certificate		
3	E.C3	GSTIN Certificate		
4	E.C4	IT Return Certificate		
5	E.C5	Turn Over Certificate (C.A. Certificate)		
6	E.C6	Exemption from GST (deposit) /IT(deduction) issued by authority		
7	E.C7	Power of Attorney		
8	E.C8	Self Dedection Certificate & Non Black List Certificate		
9	E.C9	Last three months GST return		

# Check List for Minimum Eligibility Criteria (Part-1)

Check List for Documents of Technical Evaluation (Part-2)

S. No.	Form	Form Description	EoI Ref. Section	Page No. of Praposal
1-	T.E1	Detail Information of Registard Firm		
2-	T.E2	Audit Report & Balance Sheets of three years		
3-	T.E3	Details of three sets of proposed Teachers/Faculty providing for this Project		
4-	T.E4 A&B	Year wise Information of Coaching firm regarding No of students coached and success in different competition like JEE & NEET		
5-	T.E5	List of branches of coaching institute in Chhattisgarh		
6-	T.E6	Study Material		
7-	T.E7	Attested Power point presentations on Approch, methodology and strategy		
8-	T.E8	Information of Project Incharge for the Project		
9-	T.E9	Declaration		
10-	T.E10	Any other document as per EOI		

# Check List for Financial Proposal (Part-3)

S. No.	Form	Form Description	EoI Ref. Section	Page No. of Praposal
1	F.B1	Financial Proposal		Tupoour